

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज

11.06.24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री कैलाश पुरी उपरिथत।  
अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री कपिल श्रीमाली उपरिथत।

अधिवक्ता द्वारा पेश राजीनामा प्रार्थना पत्र में कथन किया कि दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा होने से लोक अदालत की भावना से प्रकरण को निस्तारण करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 आम्बरसिंह पुत्र सांवलसिंह के नाम जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 27.07.2017 को यथावत रखते हुए पत्रवाली को निरस्त करने हेतु उभय पक्षकारान सहमत है।

अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने दौराने बहस कथन किया कि प्रकरण में प्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत इन्द्राणा द्वारा पट्टा संख्या 17 दिनांक 27.04.2017 को अप्रार्थी संख्या 2 आम्बरसिंह पुत्र सांवलसिंह के नाम जारी किया गया है। उक्त पट्टे को वर्णित भूमि बाबत दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा होने से उक्त आलोच्य पट्टे को यथावत रखते हेतु समस्त पक्षकारान सहमत है, जिससे दोनों पक्षों की सहमति से लोक अदालत की भावना से उपरोक्त पट्टा यथावत रखते हुए निगरानी खारीज की जाये।

हमने पत्रावली में उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त आलोच्य अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त आलोच्य पट्टा से संबंधित बैठक कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक 05.05.2016 को विशेष ग्राम सभा का अंकित करते हुए बैठक समाप्त की गई एवं पुनः दिनांक 05.05.2016 को बैठक में काट छांट करते हुए उक्त आलोच्य पट्टा संबंधित इन्द्राज किया गया, जबकि पंचायती राज नियमानुसार विशेष ग्राम सभा एवं साधारण बैठक रजिस्टर पृथक पृथक होते। अधीनस्थ न्यायालय से मूल अधिलेख तलब करने हेतु कार्यालय ग्राम पंचायत इन्द्राणा के पत्रांक 23 दिनांक 18.04.2024 को अवगत कराया कि उक्त आलोच्य पट्टा फैसल दिनांक 19.03.2017 संबंधित साधारण बैठक कार्यवाही रजिस्टर कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा ग्राम पंचायत की मिसल में उक्त आलोच्य पट्टा संबंधित मिसल संख्या कहीं मस भी अंकित नहीं है, जबकि मूल पट्टा बूक में मिसल संख्या 80 अंकित किया हुआ है। साथ ही ग्राम पंचायत की आदेशीका में अंकित



जिला न्यायालय  
बालोतरा

राजस्थान पंचायतीय राज अधिनियम 1996 के नियम 157(ख) के तहत प्रार्थी संख्या 1 को पट्टा जारी करना बताया गया है, जबकि भौतिक रूप से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी करना बताया गया। इस प्रकार पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया से यह कहीं स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आलोच्य पट्टा विलेख किस नियम के अधीन जारी किया गया है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत की पत्रावली में अपने स्वाक्षर की पुष्टि बावत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया पट्टे में पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 148 से 149 के नियमों की विधिसम्मत पालना नहीं की गई है। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त आलोच्य पट्टा कुट्टरचित एवं बिना विधिसम्मत जारी किया गया है। जिससे पंचायतीराज नियमों के तहत विधिसम्मत एवं स्पष्टता प्रमाणित नहीं होती है। उक्त आलोच्य पट्टा संख्या 17 दिनांक 27.04.2017 इस प्रकार आलोच्य पट्टा जारी करने से सम्बन्धित आवेदन-पत्र, आपत्ति नोटिस, नियमानुसार शुल्क जमा करने की रसीद, मौका निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि पूरी प्रक्रिया अपनाये जाने का हस्तगत प्रकरण में कोई साक्ष्य नहीं होने से संदिग्ध होना जाहिर होता है। इस प्रकार आलोच्य पट्टा विलेख से संबंधित ग्राम पंचायत के दस्तावेजों के अभाव एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों से अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत इन्द्राणा द्वारा आलोच्य पट्टा संख्या 17 दिनांक 27.04.2017 जारी किया गया है वह बिना विधिक प्रक्रिया, दस्तावेजी सबूत एवं संदिग्ध प्रक्रिया द्वारा पारित किया गया है, जो काबिल खारिज योग्य हैं। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पट्टा संख्या 17 दिनांक 27.04.2017 को जारी किया है, निरस्त अपास्त योग्य पाया जाता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत इन्द्राणा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 आम्बसिंह पुत्र सावल सिंह के नाम जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 27.04.2017 को जारी किया गया, को राजस्थान पंचायतीराज नियम के प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से पट्टा निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।



निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
जिला कलेक्टर  
बालोतरा